फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना नवाबगंज

दिनांक :- 03.09.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा नाजायज गांजा के साथ शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण, **पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह** के मार्गदर्शन, **अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय सिंह** व **क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद** श्री अजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त बन्टी पुत्र रामनिवास कश्यप निवासी कनसरी थाना बागवाला जनपद एटा को 1600 ग्राम नाजायज गांजे सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. बन्टी पुत्र रामनिवास कश्यप निवासी कनसरी थाना बागवाला जनपद एटा ।

घटना का संक्षिप्त विवरण – पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहगढ द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी के सम्बन्ध में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम जुर्म जरायम को रोकने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबगंज के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 02.09.2025 को थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान अभियुक्त बन्टी पुत्र रामनिवास कश्यप निवासी कनसरी थाना बागवाला जनपद एटा को 1600 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 217/25 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त बन्टी उपरोक्त ने पूछने पर जुर्म से इकबाल करते हुए बताया कि साहब मैं यह गांजा इकट्ठा करके बेच देता हूं साहब गलती हो गयी है। शेष सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0न्यायालय में देना बताया।

बरामदगी का विवरण-

1. 1600 ग्राम गांजा

अभियुक्त बन्टी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 217/25 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना नवाबगंज पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक अवध नारायण पाण्डेय
2. उ0नि0 रमाशंकर पांचाल
3. का0 किरण कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

उत्तर प्रदेश पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली कायमगंज

दि0-03.09.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्त को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सर्वेश पुत्र मेवाराम निवासी मदारपुर थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ मु0अ0स0 341/2012 वाद संख्या 17A/2012 धारा 3(1) उ0 प्र0 गैंगेस्टर थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए *दिनांक03.09.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

एडीजीसी- श्री शैलेश कुमार

को0 मो0 हे0का0 राजेश कुमार

पैरोकार का0 विवेक कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज

दि0-03.09.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्त को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त भगवानदीन उर्फ भग्गू पुत्र मिथौरी कंजड निवासी जगतपुर थाना इन्दरगढ जनपद कन्नौज हालपता महरूपुर रावी थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ मु0अ0स0 102/1997 वाद संख्या 79/1998 धारा 3(1) उ0 प्र0 गैंगेस्टर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***दिनांक03.09.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 06 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

एडीजीसी- श्री राजीव कुमार

को0 मो0 हे0का0 राजेश कुमार

पैरोकार हे0 का0 मनोज कुमार